राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 176 / 2012 / जयपुर

मैसर्स जैन इण्डस्ट्रीज,
एफ–69, रीको इण्ड0 एरिया,
बिन्दायका, जयपुर। ....अपीलार्थी.

बनाम

सहायक आयुक्त,
प्रतिकरापवंचन, राजस्थान वृत्त–तृतीय, जयपुर। .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
श्री अमर सिंह, सदस्य

उपस्थित : :

श्री ओ.पी.माहेश्वरी,
अभिभाषक ....अपीलार्थी की ओर से.

श्री जमील जई,
उप–राजकीय अभिभाषक ....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 13 / 05 / 2014

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उपायुक्त (अपील्स), तृतीय वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या रेस्टोर / 122 / 2007–08 / वैट / 11–12 आदेश दिनांक 13.12.2011 के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 एवं नियम 33(2) राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2006 (जिसे आगे **'अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी हैं।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, राजस्थान वृत्त–तृतीय, जयपुर (जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा वर्ष 2006–07 (01.04.06 से 30.06.06) का कर निर्धारण धारा 25, 55 व 61 राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 के तहत दिनांक 26.11.2007 को पारित किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील पेश की गयी। जिसे अपीलीय अधिकारी द्वारा श्रवण दिनांक 10.03.2010 को अनुपस्थित रहने पर धारा 33(1) के तहत अदम हाजिरी एवं अदम पैरवी में खारिज कर दी गयी। इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि व्यवहारी द्वारा दिनांक 04.11.2011 को ली जाकर रेस्टोरेशन आवेदन प्रार्थना पत्र दिनांक 23.11.2011 को पेश किया गया।

उक्त रेस्टोरेशन आवेदन पत्र को अपीलीय अधिकारी द्वारा समुचित आधार पर पेश किया जाना नहीं माना तथा यह माना कि अपीलार्थी व्यवहारी जानबूझकर अनुपस्थित रहा। एवं रेस्टोरेशन आवेदन पत्र को अपने आदेश दिनांक 13.12.2011 से खारिज कर दिया गया। उक्त अपीलीय आदेश के विरूद्ध यह अपील पेश की गयी है।

लगातार.................2

3. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से अधिकृत प्रतिनिधि ने कथन किया कि न तो अपील सुनवाई का नोटिस और ना ही फैसला उसे मिला है। यदि नोटिस सी.ए. को तामील हुआ है तो यह सही तामीली नहीं कहीं जा सकती है। साथ ही Dismiss in default करना अनुचित है। अपील का फैसला मैरिट पर करना चाहिये, आगे उन्होंने कथन किया कि पेशी दिनांक 10.03.2010 को सी.ए. द्वारा अपने स्टॉफ के मार्फत स्थगन आवेदन पत्र भेजा था परन्तु कार्यालय से न तो उसे स्थगन दिया गया और ना ही पावती दी गयी। इससे प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त का हनन हुआ है। अतः अपील को स्वीकार कर वास्ते सुनवाई का अवसर देने एवं प्रकरण को अपीलीय अधिकारी को प्रतिप्रेषित करने का निवेदन किया।

5. विभाग के विद्वान उप राजकीय अभिभाषक द्वारा अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए कहा कि यह तथ्य गलत है कि सी.ए. की तरफ से कोई स्टॉफ वास्ते स्थगन लेने कार्यालय में आया था। पत्रावली पर ऐसा कोई आवेदन पत्र उपलब्ध नहीं है और ना ही उसकी पावती अपीलार्थी के पास है। यही नहीं रेस्टोरेशन का आवेदन पत्र भी एक वर्ष बाद पेश किया गया है अतः अपील को निरस्त किया जाने पर बल दिया।

6. दोनों पक्षों की बहस सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया। यह पूर्णतया स्पष्ट है कि पेशी दिनांक 10.03.2010 व्यवहारी व उसके सी.ए. को पूर्णतया जानकारी में थी। इसके उपरान्त भी वह नियत दिवस को उपस्थित नहीं हुआ। जहां तक स्टॉफ के स्थगन आवेदन पत्र पेश करने का प्रश्न है इसका रिकार्ड में कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। साथ ही रेस्टोरेशन आवेदन पत्र भी एक वर्ष के बाद पेश किया गया है। अतः अपीलीय अधिकारी द्वारा जो रेस्टोरेशन का आवेदन अस्वीकार किया गया है वह समुचित कारण से किया गया है। अतः उसमें हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अतः अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

6. फलतः अपीलार्थी व्यवहारी की अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

13-5-14

(अमर सिंह)
सदस्य